केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 03.02.2017

सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर एन.आई.सी.एल. के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक ; तत्कालीन महाप्रबन्धक ; तत्कालीन विकास अधिकारी एवं एक एजेन्ट को पाँच लाख प्रत्येक पर जुर्माने सहित तीन वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पुणे ने नेशनल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड (एन.आई.सी.एल.), क्षेत्रीय कार्यालय,पुणे के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री संजीव कुमार अमरनाथ धर ; कलकत्ता की एन.आई.सी.एल. के प्रमुख कार्यालय के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री ओम प्रकाश ग्रोवर ; तत्कालीन विकास अधिकारी श्रीमती सुल्तान समद शेख उर्फ सुभॉगी सदाशिव श्रीपद एवं इन्सोरेन्स कम्पनी के तत्कालीन ऐजेन्ट श्री अब्दुल समद शेख को 05 लाख रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने नेशनल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड में कार्य करने के दौरान परस्पर आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए व नेशनल इन्सोरेन्स कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की। आरोपी व्यक्तियों ने कपटपूर्ण तरीके से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड स्टाफ वेलफेयर फण्ड कमेटी द्वारा ली गई पॉलसी पर 36,30,000 रू. (लगभग) का कथित एजेन्सी कमीशन का दावा पेश किया, इस दावे पर आरोपी श्री अब्दुल समद शेख ने 32,30,700 रू. की राशि प्राप्त की। उक्त पॉलसी डायरेक्ट प्रीमियम पॉलसी थी एवं एजेन्सी कमीशन के बदले में 15% की विशेष छूट दी गई और इस तरह एजेन्सी कमीशन का भुगतान नही करना था तथा जिसके चलते आरोपी व्यक्तियों ने इन्सोरेन्स कम्पनी को हानि पहुँचाई। जॉंच के पश्चात, नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया।

****